



राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/(परिवीक्षा-II)/2018/

दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित कनिष्ठ सहायकों को उनके परिवीक्षा अवधि सन्तोषप्रद पूर्ण करने के फलस्वरूप राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में दो वर्ष की परिवीक्षाकाल पूर्ण तिथि से 20800(लेवल-5) उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार वेतन नियतन करते हुये एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है।

क. स.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	2 वर्ष पश्चात परिवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि	टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि	कम्प्यूटर योग्यता आरएससी आईटी प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तिथि
1	सुश्री शैफाली अग्रवाल	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तिजारा, अलवर।	08.12.2015	08.12.2017	05.06.2018	20.11.2014 (बीटक कम्प्यूटर साईस)
2	श्री रामकिशोर,	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड चिकित्सालय, डीडवाना, नागौर।	05.04.2016	05.04.2018	27.09.2016	30.04.2016

नोट:- क्रम संख्या 1 पर अंकित कर्मचारी को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि का नगद लाभ देय होगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

दिनांक : 22/10/18

क्रमांक :- ई-18/एम/(परिवीक्षा-II)/2018/2893

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड चिकित्सालय, डीडवाना, नागौर।
3. संबन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर